संख्याः 3896 / 9-आ-1 / 2003

प्रेषक,

श्री जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2003

विषयः आवास निर्माण में निजी पूंजी निवेश निदेश को प्रोत्साहन देने तथा आवास सेक्टर की समस्याओं के समाधान हेतु प्राधिकरण क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु समिति का गठन।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के प्रभावी समाधान, आवास सेक्टर में निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने तथा विकास प्राधिकरणों व उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् की "सुविधा प्रदायक" भूमिको को सुदृढ़ बनाने हेतु शासनादेश संख्या 2713/9-आ-1-11-विविध/97 दिनांक 7.6.1997 द्वारा आवास विभाग के अधीन प्रदेश स्तर पर "आवास बन्धु" का गठन किया गया है। आवास बन्धु के कार्य-प्रबन्धन एवं कार्य-कलापों के पर्यवेक्षण हेतु माननीय आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में "हाई पावर कमेटी" गठित की गई तथा निजी क्षेत्र की अन्तर्विभागीय समस्याओं के समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "उपसमिति" भी गठित की गई है।

2. आवास बन्धु द्वारा विगत पाँच वर्षों में आवास सेक्टर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण तथा निजी क्षेत्रों के निवेशकों को मार्गदर्शन प्रदान करने एवं उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है फलस्वरूप आवास सेक्टर में निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है।

शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न प्राधिकरण क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र के निदेशकों / उद्यमकर्ताओं तथा उद्योगपतियों के समक्ष कई समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान प्राधिकरण क्षेत्र स्तर पर सम्भव है। अतः प्रत्येक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए स्थानीय स्तर पर "आवास बन्धु" के गठन से निजी निवेशकर्ताओं की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाएगा। इस व्यवस्था से ऐसी समस्त समस्याओं का समाधान सम्भव हो जाएगा जो अन्तर्विभागीय इण्टरफेस एवं समन्वय के अभाव में उत्पन्न होती है तथा राज्य स्तरीय आवास बन्धु में केवल वही समस्याऐं प्रस्तुत होंगी जिनका समाधान प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु स्तर पर सम्भव नहीं होगा या जिनमें नीति विषयक निर्णय/ मार्गदर्शन अपेक्षित है।

अतः श्री राज्यपाल महोदय उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 (1) के अधीन निम्न निर्देश देते हैं :-

(क) प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण वाले नगरों में "प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु" समिति का गठन किया जाता है।

(ख) प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु समिति के सदस्य निम्न होंगे :

(i)	मण्डलायुक्त (मण्डल मुख्यालय नगरों में)	अध्यक्ष
(ii)	जिलाधिकारी	सदस्य
(iii)	उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण	सदस्य
(iv)	मुख्य नगर अधिकारी	सदस्य
(v)	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(vi)	परियोजनाधिकारी, डूडा	सदस्य
(vii)	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद	सदस्य
(viii)	अतिरिक्त जिलाधिकारी अथवा विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी	सदस्य
(ix)	राज्य विद्युत निगम के नोडल अधिशाषी अभियंता	सदस्य
(x)	जलसंस्थान / जल निगम के नोडल अधिशाषी अभियंता	सदस्य
(xi)	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिशाषी अभियंता	सदस्य
(xii)	स्थानीय बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(xiii)	स्थानीय आर्कीटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष	सदस्य
(xiv)	सहकारी आवास समिति / ग्रुप हाऊसिंग कालोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष	सदस्य
(xv)	सीनियर सिटीजन फोरम अथवा विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष	सदस्य
(xvi)	राज्य महिला संगठन की अध्यक्ष / प्रतिनिधि	सदस्य
(xvii)	विकास प्राधिकरण के सचिव	सदस्य सचिव

(xviii) यदि कोई विषय किसी अन्य संस्था / विभाग से सम्बन्धित हो, तो सके प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमन्त्री के रूप में आमन्त्रित किया जा सकता है; उदाहरणार्थः मुख्य विकास अधिकारी, सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियनत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, जिला पी.एच.डी.सी.सी. आदि।

नोटः मंडल मुख्यालय नगरों के लिए क्रम सं. **(ii)** **(iii)** तथा **(iv)** में वरिष्ठतम अधिकारी समिति के उपाध्यक्ष होंगे तथा शेष नगरों के लिए उक्त तीनों में वरिष्ठतम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा।

(ग) प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु के कार्य-कलाप एवं दायित्व निम्न होंगे :—

(1) निजी क्षेत्र के निवेशकर्ताओं को आवासीय विकास / निर्माण में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक आयोजित कर निर्णय लेना।

(2) आवासकीय से सम्बन्धित स्थानीय स्तर की लोक शिकायतों का समाधान।

(3) न्यू-टाउनशिप डेवलपमेंट, आवासीय उपनिवेश, औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में शासन की नीति के अनुरूप आवास विभाग (राज्य स्तरीय आवास बन्धु) को संस्तुति उपलब्ध कराना,

(4) प्राधिकरण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाईयों, आवासीय उपनिवेशों की प्रगति समीक्षा करना तथा राज्य स्तरीय आवास बन्धु को उनकी समस्याओं से अवगत कराना,

(5) आवास विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों एवं नियामक सुधारों के स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं अनुश्रवण में राज्य स्तरीय आवास बन्धु को सहयोग प्रदान करना,

(6) समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।

(7) सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना,

(8) आवास क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं एवं शिकायतों के प्रभावी समाधान हेतु कैम्पस् आयोजित कराना,

(घ) **प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु समिति की बैठक दो माह में एक बार आयोजित की जायेगी तथा तिथि का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।**

(ड़) बैठक का एजेण्डा तैयार करने हेतु समिति द्वारा पहले से ही निजी निवेशकों, उद्यमियों, निजी निर्माताओं से समस्याओं / शिकायतों का विवरण प्राप्त कर लिया जाएगा। बैठक की सूचना तथा एजेण्डा सभी सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेज दिया जाएगा जिससे समस्त प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में भाग लेना सम्भव हो सके।

(च) समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं उसमें लिये गये निर्णयों के अनुपालन की सूचना अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ को नियमित रूप से प्रेषित की जाएगी।

(छ) ऐसे प्रकरण जिन पर विनियमित क्षेत्र स्तरीय आवास बन्धु की बैठक में निर्णय सम्भव न हो पाए, को पूर्ण विवरण समित अधिशाषी निदेशक, उ.प्र. आवास बन्धु, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

(ज) उत्तर प्रदेश शासन के आवास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6153 / 9-आ-1/ प्रोसेसिंग शुल्क / 2001 दिनांक 24.11.2001 के द्वारा की गयी व्यवस्था नगर स्तरीय आवास बन्धु पर भी लागू मानी जायेगी तथा प्रोसेसिंग शुल्क से होने वाली आय सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के खाते में जमा कराई जायेगी।

(झ) "प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु" पर आने वाला व्यय सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के द्वारा वहन किया जायेगा।

भवदीय

(जे.एस. मिश्र)
सचिव

संख्याः 3896(1) / 9-आ-1 / 2003 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव / सचिव, औद्योगिक विकास / नगर विकास / ऊर्जा / गृह / लोक निर्माण / विकलांग कल्याण / पर्यावरण / ग्राम्य विकास / सहकारिता / राजस्व / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग / महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. अध्यक्ष, जल निगम उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारी।
6. समस्त जिलाधिकारी क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारी।
7. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
9. अधिशाषी निदेशक उद्योग बन्धु।
10. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु,
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्धक निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ, लि. लखनऊ।
13. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
14. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय भूसरेड्डी)
विशेष सचिव

संख्या: 4010/आठ-1-स्थानीय आ.ब का गठन/2007

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-आवास सेक्टर की समस्याओं के समाधान हेतु प्राधिकरण स्तरीय आवास बन्धु का गठन।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2007

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 3895/9-आ-1-2003 दिनांक 28.06.2003 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि आपके नगर के लिए गठित स्थानीय आवास बन्धु अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है तथा शासन द्वारा बनाई गयी उक्त व्यवस्था का लाभ जन मानस को नहीं मिल पा रहा है जो उचित नहीं है। अत: अपेक्षित है कि आप कृपया शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. इस संबंध में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासन स्तर पर होने वाली प्राधिकरणों की मासिक समीक्षा बैठकों में प्रश्नगत बिन्दु की भी समीक्षा की जायेगी। **अत: अपेक्षित है कि उक्त स्थानीय आवास बन्धु की मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन कराये** तथा उनमें दिये गये निर्णयों की सूचना यथा प्राप्त कुल शिकायतें उसके सापेक्ष निस्तारित केसेज की संख्या एवं अनिस्तारित **संदर्भों की संख्या कारण सहित प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।**

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
ह./-
(शंकर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

संख्या: 4010(1)/आठ-1-स्थानी आ.ब का गठन/2007 तद् दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मंडलायुक्त: मेरठ/फैजाबाद/बाँदा/इलाहाबाद/बरेली/वाराणसी/आगरा/कानपुर/लखनऊ/मुरादाबाद/गोरखपुर/झाँसी मण्डल।
2. जिलाधिकारी: रायबरेली/फिरोजाबाद/उन्नाव/मुजफ्फरनगर/मथुरावृन्दावन/अलीगढ़/ हापुड़-पिलखुआ/बुलन्दशहर।

भवदीय,
ह./-
(शंकर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव